



कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ.ग.)

-:आदेश:-

क्रमांक / क / रीडर / कोविड-19 / 2020

जगदलपुर दिनांक 06/08/2020

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 41/रीडर/कोविड-19/2020, जगदलपुर दिनांक 28/07/2020 के द्वारा नगर पालिक निगम, जगदलपुर एवं नगर पंचायत, बस्तर क्षेत्र में दिनांक 31/07/2020 प्रातः 11.00 बजे से दिनांक 06/08/2020 रात्रि 12.00 बजे तक सशर्त लॉकडाउन किया गया है। उक्त आदेश में दुकानो/बाजारो/सब्जी एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानो को प्रातः 11.00 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई थी, जिसे निरस्त करते हुए दुकानो/बाजारो/सब्जी एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानो को प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाती है।

2/ यह आदेश दिनांक 07/08/2020 से प्रभावशील होगा।
(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

अपर कलेक्टर एवं
अपर जिला दण्डाधिकारी
जिला-बस्तर

जगदलपुर दिनांक 06/08/2020

क्रमांक / क / रीडर / कोविड-19 / 2020
प्रतिलिपि :-

1. अवर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर संभाग की ओर सादर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला बस्तर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बस्तर की ओर सूचनार्थ।
7. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी जिला-बस्तर को सूचनार्थ।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बस्तर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
9. उप संचालक, जनसम्पर्क जिला बस्तर को सूचनार्थ।
10. सर्व संबंधितों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अपर कलेक्टर एवं
अपर जिला दण्डाधिकारी
जिला-बस्तर